न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट आई.ए.एस.

प्रकरण सं.–04 / 2007

दायर दि. 26.02.2007
निर्णय दि.06.06.2018

मैनेजर, दरगाह पीर फखरूद्दीन गलियाकोट, जिला डूंगरपुर (राज.)

––अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये, पटवारी हल्का, गलियाकोट, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. लेण्ड होल्डर, तहसीलदार, सागवाड़ा वर्तमान तहसील गलियाकोट

––रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत्

उपस्थित :– 1. श्री दिनेशचन्द्र चौबीसा, अधिवक्ता अपीलान्ट
2. पेरोकार सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

:: निर्णय ::

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–75 के अंतर्गत यह प्रथम अपील अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार गलियाकोट के प्रकरण संख्या 252 / 06 में पारित निर्णय दिनांक 13.02.2007 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गलियाकोट द्वारा न्यायालय उपतहसीलदार गलियाकोट के समक्ष संवत् 2063 में रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि मैनेजर, दरगाह पीर फखरूद्दीन गलियाकोट द्वारा ग्राम गलियाकोट की बिलानाम आराजी संख्या 4670 रकबा 10 बिस्वा में भवन 20×70 फीट अर्थात् 02 बिस्वा एवं बीड 08 बिस्वा के रूप में अतिक्रमण किया है। उक्त रिपोर्ट के क्रम में न्यायालय उप तहसीलदार गलियाकोट द्वारा प्रकरण संख्या 252 / 2006 दिनांक 07.11.2006 को दर्ज कर राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–91 के तहत् अतिक्रमी के नाम नोटिस जारी किया गया। बाद सुनवाई उपतहसीलदार गलियाकोट ने अपने निर्णय दिनांक 13.02.2007 द्वारा मैनेजर दरगाह पीर फखरूद्दीन गलियाकोट को अतिक्रमी मानकर ग्राम गलियाकोट के खसरा नम्बर 4670 रकबा 02 बिस्वा (20'×70'फीट) में किये गये निर्माण को जप्त सरकार कर तहवील में लिये जाने तथा आराजी से अतिक्रमी को बेदखल करने के

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

साथ ही लगान का 50 गुणा पेनाल्टी रूपया 25.00 आरोपित करते हुए वसूल किये जाने का आदेश प्रदान किया गया। उप तहसीलदार गलियाकोट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.02.2007 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह प्रथम अपील अंतर्गत धारा 75 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है जो क्रमांक 4/2007 पर दर्ज की गई। अपील के साथ ही पृथक से स्थगन प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम–5 सपठित धारा 81 राज. भू–राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया गया, जिसे क्रमांक 02/2007/विविध पर दर्ज किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र क्रमांक 2/2007 में बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 28.03.2007 द्वारा खारीज कर दिया जिसके विरूद्ध मा.राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 84 के अंतर्गत रीवीजन प्रस्तुत किया गया जो रीवीजन/एलआर/2471/2007/डूंगरपुर के रूप में दर्ज होकर स्थगन जारी हुआ। बाद सुनवाई रीवीजन प्रकरण संख्या 2471/2007 में मा.न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 10.08.2016 को पारित करते हुए न्यायालय हांजा के प्रकरण संख्या 2/2007 में पारित निर्णय दिनांक 28.03.2007 को निरस्त किया गया तथा प्रकरण इस आशय के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि उभय पक्ष को विधिवत सुनते हुए मूल अपील को इस निर्णय के दो माह की अवधि में गुणावगुण पर तय करें।

अपील प्रकरण में तहसीलदार गलियाकोट से अपीलाधीन भूमि के संबंध में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट एवं प्रस्तुत अपील के क्रम में उभय पक्षों की बहस समायत की गई। अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता का कथन है कि ग्राम गलियाकोट के वर्तमान अपीलाधीन खसरा संख्या 4670 रकबा 10 बिस्वा पैमायश संवत् 2028 में श्री मुसा वल्द रसूल के खाते दर्ज थी। पैमायश संवत् 2022 में इसका खसरा नम्बर 3412 तथा संवत् 2002 में 1993 था। इसका रकबा 10 बिस्वा होकर यह घरवाला वाडा के नाम से जाना जाकर खातेदारी में अंकित था। उक्त खसरा अन्य खसरों के साथ ही दिनांक 09.04.1943 से दरगाह के पास रहन था तथा तब से लेकर आज तक इसका कब्जा दरगाह के पास निरन्तर बेरोक–टोक चला आ रहा है। खसरा संख्या 4670 के चारों तरफ की भूमि दरगाह के कब्जे में है, जिस पर दरगाह में दर्शन करने वाले यात्रियों को ठहरने के लिये भवन, धर्मशाला व बगीचा का निर्माण किया है। उक्त निर्माण 20 वर्षो से भी अधिक पुराना है, जिसके समर्थन में श्री शंकर पिता रूपा भील, निवासी जुई तलाई, सेफुंद्दीन पिता गुलाम अब्बास बोहरा निवासी गलियाकोट, मुस्ताअली पिता फखरूद्दीन निवासी गलियाकोट, लसा पिता रंगाजी पारगी, निवासी कसारीया, शेर

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

मोहम्मद पिता हबीब मोहम्मद मुसलमान निवासी गढी एवं फकीर मोहम्मद पिता अकबर खान पठान मुसलमान निवासी जुई तलाई के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है। अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता का यह भी कथन है कि वर्तमान रेकार्ड अनुसार को बिलानाम भूमि माना जाता है तो भी उक्त भूमि पर उनका पुराना अतिक्रमण एवं निर्माण होकर अतिक्रमित भूमि दरगाह के परकोटे के अंदर होने से तथा इसके चारों तरफ दरगाह की भूमि होने से उक्त भूमि नियमन योग्य ठहरती है। उक्त भूमि को नियमन कराने के क्रम में उनके द्वारा रूपया 19680/– राजकोष में जमा भी करवा दिये है तथा कोई अतिरिक्त राशी भी बनती है तो भी वह जमा कराने तैयार है। योग्य अधिवक्ता अपीलान्ट का आगे यह भी कथन है कि अपीलाधीन भूमि का उपयोग दरगाह द्वारा आम जनता को सुविधा मुहैया कराने हेतु ही किया जा रहा है तथा भूमि दरगाह परिसर में स्थित होकर दरगाह हेतु उपयोगी होने से इसके पुराने कब्जे व निर्माण के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नियमन की कार्यवाही की जावे। राजकीय पेरोकार ने राजस्व रेकार्ड में भूमि बिलानाम दर्ज होने से तथा पुराने कब्जे बाबत् रेकार्डेड साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से अपील को खारीज करने निवेदन किया।

उभय पक्षों की बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का आद्योपरांत अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार गलियाकोट ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.02.2007 में 01 जनवरी 1994 तक अतिक्रमित भूमि को विनियमित योग्य बताते हुए अपीलान्ट/अतिक्रमी का अतिक्रमण उक्त दिनांक तक प्रस्तुत जवाब से रेकार्ड एवं सबूत के आधार पर प्रमाणित नही होने के फलस्वरूप बेदखल किये जाने योग्य माना है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से इसमें प्रस्तुत रिपोर्ट के क्रम में संबंधित पटवारी अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक के बयान लिये जाना एवं अपीलान्ट को जिरह का अवसर देना नही पाया जाता है। तहसीलदार गलियाकोट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, रेकार्ड नक्षा एवं गुगल मेप का अवलोकन करने पर अपीलाधीन आराजी सं. 4670 पर दरगाह पीर फखरूद्दीन का कब्जा होकर 20 गुणा 70 फीट भूमि पर पक्का निर्माण दो मंजिला किया गया है एवं शेष भूमि रास्ते एवं पडत के रूप में होकर दरगाह के कब्जे में होना तथा इसके तीनों तरफ दरगाह परिसर होकर दरगाह के खाते की भूमि होना अंकित किया है। प्रस्तुत नक्षा एवं रिपोर्ट के अनुसार अपीलाधीन भूमि पर रींगवाल का निर्माण नही होकर अपीलाधीन भूमि दरगाह परिसर के अंदर स्थित हो दरगाह के उपयोग में आ रही है। अपील प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत किये गये, विभिन्न व्यक्तियों के शपथ पत्रों में अपीलाधीन भूमि पर 20 वर्षो से भी अधिक

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

पुराना कब्जा एवं निर्माण होने बाबत् कथन किया गया है। अपीलाधीन भूमि के लेखा परीक्षा अवधि 04/03 से 03/05 के क्रम में भी आक्षेपित राशी रूपया 19680/– अपीलान्ट की ओर से राजकोष में जमा कराई गई है।

अतः उपरोक्त विवेचना के क्रम में अधिनस्थ उप तहसीलदार गलियाकोट द्वारा प्रकरण संख्या 252/06 में पारित निर्णय दिनांक 13.02.2007 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें इस आशय के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई, साक्ष्य एंव जिरह का विधिवत पर्याप्त अवसर प्रदान करे तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं परिपत्रों के क्रम में यदि अपीलाधीन भूमि नियमन की श्रेणी में आती हो तो नियमों के परिप्रेक्ष्य में नियमन की कार्यवाही करावे।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय में घोषित किया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर